भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2372

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

विदेश में ईपीएफओ योजना छूट

2372. श्री बालक नाथ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी/भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने विदेश में कार्य कर रहे भारतीयों को उस देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को छोड़कर ईपीएफओ द्वारा कवर करवाए जाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई व्यवस्था से सरकार के साथ कितने देश सहमत हैं; और

(घ) भारतीयों को इस योजना से क्या लाभ होगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): यह सुविधा उन भारतीय कामगारों के लिए है जो अपने नियोक्ता द्वारा उन देशों में प्रतिनियुक्त हैं, जिनके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) प्रारंभ किया है और वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कवरेज प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ़ कवरेज) (सीओसी) लेते हैं।

(ग): भारत ने 18 राष्ट्रों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) प्रारंभ किया है, नामत: –

(i) ऑस्ट्रेलिया, (ii) ऑस्ट्रिया, (iii) बेल्जियम, (iv) कनाडा, (v) चेक गणराज्य, (vi) डेनमार्क, (vii) फिनलैंड, (viii) फ्रांस, (ix) जर्मनी, (x) हंगरी , (xi) जापान, (xii) रिपब्लिक ऑफ कोरिया (दक्षिणी कोरिया), (xiii) लक्ज़मबर्ग, (xiv) नीदरलैंड, (xv) नॉर्वे, (xvi) पुर्तगाल, (xvii) स्वीडन, और (xiiii) स्विट्जरलैंड।

(घ): अन्य बातों के साथ-साथ महत्वपूर्ण लाभ जो सामाजिक सुरक्षा समझौता के तहत उपलब्ध हैं:

1. अलगाव: एक भारतीय जिसने भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान दिया हो और सर्टिफिकेट ऑफ़ कवरेज प्राप्त किया हो उसे एस.एस.ए देश के सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. समग्रता: एसएसए देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत सेवा अवधि/अंशदायी अवधि को पेंशन की पात्रता निर्धारित करने के लिए भारत में सेवा अवधि में जोड़ा जा सकता है।

*****